

Title: Regarding compensation and assistance to farmer whose lands have been acquired for developmental works.

**श्री राजाराम पाल (अकबरपुर):** महोदय, आजादी के 62 साल बाद, यह देश तरक्की कर रहा है, लेकिन किसानों की हालत, किसान-मजदूरों की हालत बचाए अच्छी होने के दिन-ब-दिन खराब हो रही है। किसानों को आजादी के 62 साल बाद भी उनकी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। उनकी जमीन जब सरकार चाहती है, सड़क के नाम पर, बिजली के नाम पर, प्राइवेट या सरकारी संस्थानों के नाम पर कौड़ियों के भाव ले लेती है और बिना बाजार भाव तय किए पैसा उनके खाते में डाल दिया जाता है। मुआवजा बहुत कम होता है और किसान उस मुआवजे को पाने के लिए या तो उस विभाग में चक्कर काटता रहता है या अदालत का दरवाजा खटखटाते-खटखटाते बूढ़ा हो जाता है। आजादी के 62 साल बाद भी किसान कहीं पर भूमिधर, कहीं पर सीरधर, कहीं पर जी-1/1, जी-1/3, जी-1/4 में उनके नाम दर्ज होते हैं। भूमि का बड़ा भाग जो जंगलों में था, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे लोगों के लिए था, आज उसे भी सरकार ले रही है। ऐसी स्थिति में किसान की हालत दिन-प्रति-दिन खराब हो रही है और पूरे देश में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों में किसानों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं है कि हमारी जमीन अधिग्रहीत न की जाए, लेकिन उसका मालिकाना हक मिल जाए, जमीन का रेट बाजार भाव के हिसाब से मिले, जिस संस्थान के लिए जमीन ली जाए उसमें उन किसानों के बच्चों को नौकरियां दी जाएं। जमीन का मुआवजा बाजार रेट से दिया जाए तथा अविलंब दिया जाए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भारत सरकार इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलाए। किसानों की जमीन आज विकास के नाम पर, शहरों के नाम पर कौड़ियों के भाव पर ली जा रही है और प्राइवेट पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव दी जा रही है। उस पर बनने वाली कालोनियों के लिए जमीन लेते समय बीघे के हिसाब से रेट दिया जाता है और हजारों रूपए गज के हिसाब से उसमें उनको आवास खरीदने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाहे शहरों का क्षेत्र हो, चाहे सड़क के नाम पर ली जाने वाली जमीन हो, चाहे बिजली के नाम पर या सरकारी संस्थानों के नाम पर ली जाने वाली जमीन हो, उसमें उनको आवास सस्ती दरों पर दिए जाएं तथा जिनकी जोत खत्म हो रही है, उनको भूखों मरने से बचाने के लिए उचित रेट से मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था करें।